





जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

145/2019

तारीखरज- 2-12-19

उपनाम- विश्राम बनाम रामदेव वगैरे

यावत इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा घारा 88,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
2/12/19	<p>वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा यावत इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा घारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 09.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>
3/12/19	<p>वादी पक्षील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 4, 5 बावजूद कृपया उपस्थित नहीं थे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 के सम्मन अदालतमील से प्राप्त हुए रजि. नं. सम्मन तलबाना पेश करे। बालि तलबी कि 16.1.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
16.1.20	<p>वादी पक्षील उप. प्रतिवादी नं. 2 व 3 की मोरसे श्री नील कुमार जिंदल AMV ने उपस्थित दर्ज की। P.O. साहब-पुनार जस्टी से पत्रावली प्रतिवादी नं. 1 की तलबी एवं प्रतिवादी नं. 2 व 3 का बकालतनामा पेश करे-क्रि. नं. 20.2.20 को पेश हो।</p>
02.2.20	<p>बकालतनामा उप. प्रतिवादी नं. 2, 3 का बकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 1 की तलबी कराने। प्रतिवादी नं. 2, 3 का जबाब पेश करने क्रि. नं. 26.3.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
16.3.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासन अधिकारी... पर पत्रावली... क्रि. नं. 30.4.20 को पेश हो।</p>
3.4.20	<p>लोकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई। पक्षील उप. प्रतिवादी नं. 1 की तलबी एवं प्रतिवादी नं. 2, 3 का जबाब वास्ते दिनांक 14.10.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

569599  
2-12-19

पतिगरीन 2 व 3  
श्रीवत्सल  
उप. नं. 1  
Ramesh

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोंडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
14.10.20	<p>वादी उपस्थित। वादी की ओर से श्री सैयद शौहरत अली Adv. ने नया वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी नम्बर 2, 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा की नकल वादी वकील को दिलवाकर शांति पत्रावली किया गया। वादी एवं वादी वकील ने कथन किया कि मैं अब इस मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए Not-Press में खारिज कर दिया जावे। Not-Press किये जाने पर यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली के रजि. शुभारंभ होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतार हो।</p>

Not press

रिप्लानसि

Identified

*[Signature]*

(दुर्गा प्रसाद पीजा)  
 अधिवक्ता टोंडाभीम  
 जिला-करौली